Double the farmers' income through cultivation of bamboo on private agricultural lands.

Bamboo based livelihoods and employment opportunities can go a long way in meeting the dual objective of accelerating the rural economy while doubling the farmers' income. Bamboo has been traditionally used in handicrafts along with pulp making, manufacturing, food and textile industry, and the like. To support the raw material needs of such enterprises, bamboo sourced only from forests is becoming highly insufficient. Henceforth, cultivation of bamboo on private agricultural lands is being encouraged by National Bamboo Mission, being implemented through the State Bamboo Mission. For the same, a subsidy of Rs 120 per plant in 3 years is being provided under the scheme. Once the crop matures, farmers are free to sell it to any market of their choice in exchange for remunerative prices.

In the western enclosure of the North Balaghat Forest division, CFC Baihar is facilitating a SHG of traditional bamboo artisans to manufacture Bamboo based products like table sets, sofa sets, and other decorative items. The group sources its raw material from the local farmers thereby encouraging the cultivation of bamboo and increasing their incomes. For instance, Shri Hridaysingh of village hirri, ukwa, sold bamboo cultivated by him as boundary plantation, to the SHG at the rate of Rs 50,000 and Rs 45,000 for 500 and 450 poles respectively. This was much higher than Rs 20,000-25,000 originally anticipated by him. He also earned his regular income from the cultivation of wheat and maize by him in his filed. Likewise, under the SBM farmers are benefitting from reduced costs on account of the subsidy received by them, as well as double income by intercropping bamboo with other suitable crops.

सफलता की कहानी
निजी कृषि भूमि पर बांस रोपण द्वारा दुगनी आय

ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने एवं किसानों की आय दुगनी करने के उद्देश्य की पूर्ति करने में बांस आधारित आजीविका एवं रोजगार सृजन की महत्वपूर्ण भूमिका है। बांस का उपयोग परम्परागत बांस शिल्पकला के अतिरिक्त, पल्प, विनिर्माण, खाद्य एवं कपड़ा उद्योग आदि में किया जा रहा है। अतः बांस आधारित उद्योगों के लिए बांस की नियमित आपूर्ति किया जाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। बांस आधारित उद्योगों के लिए मात्र वनक्षेत्र से बांस की आपूर्ति करना संभव नहीं है। अतः राज्य बांस मिशन के अंतर्गत निजी कृषि भूमि पर कृषकों को बांस रोपण हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत प्रति पौधा रू. 120/– का अनुदान म.प्र. राज्य बांस मिशन द्वारा दिया जाता है। बांस परिपक्व होने के उपरांत निजी क्षेत्र के बांस को कृषक अपनी स्वेच्छा से किसी भी क्रेता को बेच सकते है।

वनमण्डल उत्तर बालाघाट अंतर्गत पश्चिम बैहर परिक्षेत्र में संचालित सामान्य सुविधा केन्द्र (CFC), बैहर में समूह द्वारा बांस शिल्पकला का कार्य किया जाता है, जिसमें बांस निर्मित उत्पादों जैसे फर्नीचर, टेबल सेट, सजावटी सामान आदि का निर्माण किया जाता है। समूह द्वारा बांस सामग्री निर्माण कार्य के लिए कच्चे माल के रूप में बांस निजी कृषकों से क्रय किया जा रहा है। सामान्य सुविधा केन्द्र (CFC), बैहर अंतर्गत समूह द्वारा वन परिक्षेत्र उत्तर उकवा अंतर्गत ग्राम हिर्री के कृषक श्री हिरदयसिंह से उसके खेत की मेढ़ पर लगे दो भिर्रों से 500 एवं 450 नग बांस का क्रय क्रमशः 50 हजार, 45 हजार रूपयों में किया गया। कृषक को उक्त भिर्रों से लगभग 20–25 हजार रूपये/भिर्रा आय की अपेक्षा थी। किन्तु कृषक को उसकी अपेक्षा से दोगुना लाभ प्राप्त

हुआ। साथ ही कृषक द्वारा अपनी कृषि भूमि पर धान एवं मक्का आदि फसलों का रोपण भी किया गया। जिससे उसे अतिरिक्त लाभ प्राप्त हुआ।

म.प्र. राज्य बांस मिशन अंतर्गत प्रदेश के कृषक निजी भूमि पर बांस का रोपण कर अनुदान प्राप्त करने के साथ–साथ बांस विदोहन एवं अंतरवर्ती फसलों के माध्यम से अतिरिक्त आय प्राप्त कर निश्चित ही अपनी आय दुगनी करने में सफल हो रहे हैं।